

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर

क्रमांक/बी.11/2000-01/14-2/58

रायपुर दिनांक : 02.01.2001

--: अधिसूचना :-

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता) के क्रमांक 03.05.97 फर्टिलाइजर दिनांक 8 जनवरी 1999 में अन्तर्विष्टि अनुदेशों के साथ पठित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा विभिन्न मदों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रों की मंजूरी तथा अमानक उर्वरक विक्रय की अनुज्ञा हेतु नीचे सारणी में दिये गये ब्योरे के अनुसार फीस नियत करती है :-

सारणी

क्र.	मद	इकाई - रूपये में फीस सामान्य क्षेत्र के लिए
1	2	3
क.	उर्वरकों के मिश्रणों जिनमें विशेष मिश्रण सम्मिलित हैं के विनिर्माण के लिए	
1.	उर्वरकों के मिश्रणों का विनिर्माण करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर किये जाने हेतु	1000.00
2.	उर्वरक के विशेष मिश्रणों के विनिर्माण करने के लिए प्रमाण पत्र मंजूर किये जाने हेतु	500.00
3.	उर्वरकों के मिश्रणों का विनिर्माण करने के लिए प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु	1000.00
4.	उर्वरकों के मिश्रणों का विनिर्माण करने के प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु	200.00
5.	उर्वरकों के मिश्रणों का विनिर्माण करने के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु विलंब फीस	100.00
6.	उर्वरकों के मिश्रणों/विशेष मिश्रणों का विनिर्माण करने के प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति/अतिरिक्त प्रतियों का प्रदाय किया जाना.	100.00
ख.	व्यापारियों के लिए	
1.	थोक व्यापारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की मंजूर हेतु	2250.00
2.	फुटकर व्यापारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की मंजूरी	
	(क) दो टन तक उर्वरक स्कंध विक्रय के लिए	निरंक
	(ख) दो टन से अधिक उर्वरक विक्रय के लिए	1250.00
3.	थोक व्यापारी के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु	2250.00
4.	फुटकर व्यापारी के प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण हेतु	

	(क) दो टन तक उर्वरक स्कंध के विक्रय के लिए	निरंक
	(ख) दो टन से अधिक विक्रय स्कंध के विक्रय के लिए	1250.00
5.	थोक व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए विलंब फीस	75.00
6.	फुटकर व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए विलंब फीस	60.00
7.	थोक व्यापारी के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु	150.00
8.	फुटकर व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु	30.00
9.	थोक व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति/अतिरिक्त प्रतियों हेतु	75.00
10.	फुटकर व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति/अतिरिक्त प्रतियों हेतु	25.00
स.	अमानक उर्वरक विक्रय की अनुमति हेतु –	
1.	अमानक उर्वरक विक्रय की अनुमति हेतु –	
	(क) 50 टन तक के स्टॉक हेतु	30.00
	(ख) 50 टन से अधिक स्टॉक हेतु	125.00

छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(चन्द्रहास बेहार)
संयुक्त सचिव.